सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

टेलिफैक्स:Telefax:+91-135-2744064, 2743331
वेबसाईट:Website: www.surveyofindia.gov.in
Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064
ई-मेल:E-Mail: sgo.conf.soi@gov.in

भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय
OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA
डाक बक्स सं0 37,POST BOX No.37,
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं0सी– 1466/1354(सहायक/एच.सी.)

दिनांकः 10, अप्रैल–2023

सेवा में,

स्थापना एवं लेखा अधिकारी (प्रशासन),
महासर्वेक्षक का कार्यालय ।

विषयः सहायक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति (डी0पी0सी0–2023)।

निम्नलिखित प्रवर श्रेणी लिपिक को सहायक के पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 6 में नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु निम्नानुसार स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं :–

क्र0 सं0	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती
1.	Shri Uttam Kumar	SGO, Dehra Dun	SGO, Dehra Dun

2. **उपरोक्त कर्मचारी की पदोन्नति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तिथि से प्रभावी होगी** तथा इस आदेश को इस पत्र के जारी होने की तारीख से **1 माह** के भीतर लागू किया जाए । पदोन्नति की तारीख अथवा पदोन्नति की अस्वीकृति की तारीख, जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 20–04–2023 तक अवश्य सूचित करें ।

3. उपरोक्त **कर्मचारी** को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10–04–1989 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/5/86–स्था0 (डी0) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों **"no fresh offer of appointment on promotion shall be made in such cases for a period of one year from the date of refusal of first promotion or till a next vacancy arises, whichever is later."** के अनुसार पदोन्नति से वंचित करते हुए उनसे कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा

4. उपरोक्त **कर्मचारी** को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ0आर0 22(I)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा तथा यदि उपरोक्त कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी को एम0ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत एफ0आर0 22(I)(क)(1) का लाभ मिल चुका है तो उनका वेतन नियतन निर्धारित नियमों के अनुसार करें ।

5. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के कास्ट स्टेटस के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा

क्रमश...2

6. यदि उपरोक्त **कर्मचारी** के विरूद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।

7. The promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36012 /11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.

8. पदोन्नत **कर्मचारी** से संलग्न Undertaking प्राप्त कर अभिलेख में रखें ।

10/04/2023

(प्रशान्त कुमार)
उप महासर्वेक्षक
कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपिः

1. लेखाधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून ।
2. कार्यालय अधीक्षकः स्थापना–2/कार्य अध्ययन एकक/जे0सी0एम0 अनुभाग (म0स0का0) ।
3. महासचिव मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, देहरादून ।
4. गोपनीय सहायक (म0स0का0) ।
5. इंचार्ज, वेब एडमिन ।
6. इंचार्ज, ई–ऑफिस ।

UNDERTAKING

I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of ***the SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.***

Place:

Date:

Signature:
Name:
Address of Office:

COUNTERSIGNED BY ADDL SG/DIRECTOR

वचन पत्र

मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं माननीय कोर्ट के वाद ***SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter*** के निर्णय का पालन करूंगा ।

स्थानः

दिनांकः

हस्ताक्षरः
कर्मचारी का नामः
कार्यालयः

अपर महासर्वेक्षक / निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

टेलिफैक्स:Telefax:+91-135-2744064, 2743331
वेबसाईट:Website: www.surveyofindia.gov.in
Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064
ई-मेल:E-Mail: sgo.conf.soi@gov.in

भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय
OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA
डाक बक्स सं0 37,POST BOX No.37,
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं0सी– 1316/1354(सहायक/एच.सी.)

दिनांक: 29/31–03–2023

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक: उत्तरी क्षेत्र/एन0आई0जी0एस0टी0/पूर्वी क्षेत्र ।

निदेशक: पूर्वी उत्तर प्रदेश जी0डी0सी0/बिहार जी0डी0सी0 ।

विषय: सहायक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति (डी0पी0सी0–2023)।

निम्नलिखित प्रवर श्रेणी लिपिकों को सहायक के पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 6 में नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु निम्नानुसार स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं :–

क्र0 सं0	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती
1.	Shri Lavkesh Kumar	East UP GDC, Lucknow	East UP GDC, Lucknow
2.	Smt. Annavarapu Suhasini	NIGST, Hyderabad	NIGST, Hyderabad
3.	Shri Ritesh Kumar	Bihar GDC	Bihar GDC

2. **उपरोक्त कर्मचारियों की पदोन्नति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तिथि से प्रभावी होगी** तथा इस आदेश को इस पत्र के जारी होने की तारीख से **1 माह** के भीतर लागू किया जाए । पदोन्नति की तारीख अथवा पदोन्नति की अस्वीकृति की तारीख, जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 10–04–2023 तक अवश्य सूचित करें ।

3. उपरोक्त कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10–04–1989 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/5/86–स्था0 (डी0) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों **"no fresh offer of appointment on promotion shall be made in such cases for a period of one year from the date of refusal of first promotion or till a next vacancy arises, whichever is later."** के अनुसार पदोन्नति से वंचित करते हुए उनसे कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा

4. उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ0आर0 22(I)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा तथा यदि उपरोक्त कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी को एम0ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत एफ0आर0 22(I)(क)(1) का लाभ मिल चुका है तो उनका वेतन नियतन निर्धारित नियमों के अनुसार करें ।

5. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के कास्ट स्टेटस के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा

कमश...2

6. यदि उपरोक्त कर्मचारियों के विरूद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।

7. The promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36012/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.

8. पदोन्नत कर्मचारियों से संलग्न Undertaking प्राप्त कर अभिलेख में रखें ।

31/05/2023.

(प्रशान्त कुमार)
उप महासर्वेक्षक
कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपिः

1. लेखाधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून ।
2. लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हैदराबाद/कोलकाता ।
3. कार्यालय अधीक्षकः स्थापना–2/कार्य अध्ययन एकक/जे0सी0एम0 अनुभाग (म0स0का0) ।
4. महासचिव मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, देहरादून ।
5. गोपनीय सहायक (म0स0का0) ।
6. इंचार्ज, वेब एडमिन ।
7. इंचार्ज, ई–ऑफिस ।

UNDERTAKING

I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of ***the SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.***

Place:

Date:

Signature:
Name:
Address of Office:

COUNTERSIGNED BY ADDL SG/DIRECTOR

वचन पत्र

मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं माननीय कोर्ट के वाद ***SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter*** के निर्णय का पालन करूंगा ।

स्थानः

दिनांकः

हस्ताक्षरः
कर्मचारी का नामः
कार्यालयः

अपर महासर्वेक्षक / निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

टेलिफैक्स:Telefax:+91-135-2744064, 2743331
वेबसाईट:Website: www.surveyofindia.gov.in
Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064
ई-मेल:E-Mail: sgo.conf.soi@gov.in

भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय
OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA
डाक बक्स सं0 37,POST BOX No.37,
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं0सी-490 /1354(सहायक/एच.सी.)

दिनांकः 01-02-2023

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षकः दक्षिणी क्षेत्र, हैदराबाद ।

निदेशकः आन्ध्र प्रदेश, जी0डी0सी0, हैदराबाद ।

स्थापना एवं लेखा अधिकारी(प्रशासन)(म0स0का0) ।

विषयः सहायक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति (डी0पी0सी0-2023)।

निम्नलिखित प्रवर श्रेणी लिपिकों को सहायकके पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 6 में नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु निम्नानुसार स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र0 सं0	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती	पत्रता की अवधि
1.	Shri Sailesh Kumar Bahuguna	SGO, Dehra Dun	SGO, Dehra Dun	01-02-2023
2.	Shri Patan Imam Kasim	AP& T GDC, Hyderabad	AP& T GDC, Hyderabad	01-02-2023

2. **उपरोक्त पदोन्नति उनकी पात्रता की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख जो भी बाद में हो, से प्रभावी होगी** तथा इस आदेश को इस पत्र के जारी होने की तारीख से **1 माह** के भीतर लागू किया जाए । पदोन्नति की तारीख अथवा पदोन्नति की अस्वीकृति की तारीख, जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 10-02-2023 तक अवश्य सूचित करें ।

3. उपरोक्त कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/5/86-स्था0 (डी0) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों **"no fresh offer of appointment on promotion shall be made in such cases for a period of one year from the date of refusal of first promotion or till a next vacancy arises, whichever is later."** के अनुसार पदोन्नति से वंचित करते हुए उनसे कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा

4. उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ0आर0 22(I)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा तथा यदि उपरोक्त कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी को एम0ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत एफ0आर0 22(I)(क)(1) का लाभ मिल चुका है तो उनका वेतन नियतन निर्धारित नियमों के अनुसार करें ।

5. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के कास्ट स्टेटस के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा

क्रमश...2

6. यदि उपरोक्त कर्मचारियों के विरूद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।

7- *The promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*

8. पदोन्नत कर्मचारियों से संलग्न Undertaking प्राप्त कर अभिलेख में रखें ।

01/02/2023

(प्रशान्त कुमार)
उप महासर्वेक्षक
कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपिः

1. लेखाधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून ।
2. लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ~~जयपुर~~/हैदराबाद/~~कोलकाता~~ ।
3. कार्यालय अधीक्षकः स्थापना–1/स्थापना–2/कार्य अध्ययन एकक/जे0सी0एम0 अनुभाग (म0स0का0) ।
4. महासचिव मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, देहरादून ।
5. गोपनीय सहायक (म0स0का0) ।
6. इंचार्ज, वेब एडमिन ।
7. इंचार्ज, ई–ऑफिस ।